विज्ञप्ति।

जनपद बागेश्वर में श्री जगदीश सिंह के नेतृत्व में दिनांक–03.10.2018 को ग्राम चौरा विकासखण्ड तहसील व जनपद बागेश्वर क्षेत्रान्तर्गत बाघ पर आक्रमण किये जाने के प्रकरण में वन विभाग बागेश्वर के अधिकारियों द्वारा घायल जानवरों के बचाव हेतु "नेशनल टाईगर कन्जर्वेशन एथोरटी" द्वारा निर्धारित प्रोटोकोल का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में योजित जनहित याचिका संख्या–176/2018 में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक–08.10.2018 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को जॉच हेतु अधिकृत किया गया है जिसमें पुलिस उपाधीक्षक, बागेश्वर एवं जिला पंचायत राज अधिकारी, बागेश्वर सदस्य के रूप में नामित है।

इस सम्बन्ध में सर्वधारण को सूचित किया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उक्त घटना के सम्बन्ध में लिखित/मौखिक साक्ष्य अथवा सूचना प्रस्तुत करना चाहता है तो इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तिथि से दिनांक–15.10.2018 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस/कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

(राहुल कुमार गोयल)
अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर।
संख्या–331/पी0ए0–ए0डी0एम0/2017–18 दिनांक–10 अक्टूबर, 2018

प्रतिलिपिः–

1. जिला सूचना अधिकारी, बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञप्ति को शीघ्रातिशीघ्र दैनिक समाचार पत्रों में निशुःल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. जिलाधिकारी महोदया को उक्तानुसार अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस उपाधीक्षक, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. जिला पंचायत राज अधिकारी, बागेश्वर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की एक प्रति ग्राम पंचायत चौरा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।
5. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागेश्वर को जनपदीय बेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।
6. तहसीलदार बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की एक प्रति तहसील बागेश्वर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायें।

(राहुल कुमार गोयल)
अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर।